कार्यालय अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सतना (म0 प्र0)

टेलीफोनः–07672–227056; ईमेलः–setnc_sta@yahoo.co.in

क्र0: अ0अ0 / (प0 व सं0) / सतना / सिविल / निविदा / 723 सतना, दिनांक 26/06/2018

अल्पकालीन अप्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में निम्नलिखित कार्यों हेतु समान प्रकृति के कार्यों के अनुभवी एवं केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग में 'सी' एवं उपर श्रेणी में पंजीकृत अथवा कंपनी के परिपत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/सीआईआर/2106 दिनांक 28.07.2014 में दिये गये प्रावधान के अनुरूप, अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से, प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग म0 प्र0 शासन के दिनांक 01/08/2014 से प्रभावशील एस0 ओ0 आर0 (बिल्डिंग वर्क्स) समस्त संशोधनों सहित, जिसमें किसी भी सामग्री की लीड अलग से देय नहीं होगी की दरों व निर्धारित आधार दरों के सापेक्ष, समतुल्य अथवा कम/ अधिक (प्रतिशत) दरों पर मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। विस्तुत विवरण निविदा प्रपत्र में देखा जा सकता है

निविदा कमांक	कार्य का नाम	अनुमानित कार्य राशि (₹)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹)	धरोहर राशि (₹)	कार्य पूर्णता अवधि (वर्षा काल सहित)	न्यूनतम वांछित कार्य अनुभव लाख में	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
SE/T&C/C/TC-07/2018	132 के.व्ही. उपकेन्द्र शहडोल में 132 के.व्ही. आक्जिलरी बस के फाउन्डेशन से संबंधित सिविल कार्य	60,000/-	500/- + 60/- GST Total 560/-	1200/-	दो माह	0.30 लाख	10.07.18	11.07-18

2. केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तगर्त म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार अथवा वित्तीय व अनुभव की अर्हताओं के आधार पर, ठेकेदारों को ई0पी0एफ0, जीएसटी में पंजीकृत होने पर ही निविदा प्रदान की जायेगी।

3. केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तगर्त म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र अथवा वित्तीय मापदण्डो हेतु पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र निविदा के साथ जमा कराया जाना आवश्यक होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र जो संबंधित विभाग के कार्यपालन अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को भी निविदा के साथ जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

4. जीएसटी जो कि दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किया गया है, के प्रावधान लागू होगें।

5. धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी (निर्धारित प्रारुप में) जो की मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के पक्ष में बंधक हो एवं न्यूनतम 18 माह की अवधि के लिये वैध हो अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक जो क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के पक्ष में देय हो, में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि अलग लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होनी चाहिये। बिना धरोहर राशि के अथवा उपरोक्त के अलावा अन्य रुप में धरोहर राशि प्राप्त होने पर निविदा की अगली निर्धारित प्रकिया में ठेकेदार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वित्तीय एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज भी अलग लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में भरकर निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक होगा जिसकी जांच के उपरांत ही योग्य पाये जाने पर प्राइस बिड खोली जायेगी। केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तगर्त पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा धरोहर राशि एवं प्राइस बिड दो पृथक लिफाफों में जमा करना होगा तथा धरोहर राशि निर्धारित अनुसार पाये जाने पर स्वीकार्य होगी एवं तदुपरान्त पृथक से निर्धारित की जाने वाली तिथि को पंजीकृत अथवा अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों की प्राइस बिड खोली जायेगी।

Contd, Pg. 2

6. निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो कि क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के पक्ष में देय हो, द्वारा ही स्वीकार्य होगी। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर रु0 150.00 मात्र की राशि अतिरिक्त देय होगी। निविदा प्रपत्र, दर्शाई गई दिनांक तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकेंगे एवं मुहरबंद निविदायें निर्धारित दिनांक को 15.00 बजे तक जमा की जा सकेंगी। डाक से भेजी जाने वाली निविदायें, पावती सहित प्रेशित की जायें। समस्त निविदायें अनुमोदित निविदा प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होंगी एवं उसी दिन 15.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेंगी। इन तिथियों में अवकाश घोषित होने पर तत्संबंधी कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी। यदि निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकार केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत हैं तो प्राइस बिड उपरोक्त सारणी में दर्शाई गई तिथि को खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में इस कार्यालय के दूरभाष कमांक 07672-227056, 9425805162, 9425805161, 9981389450 पर संपर्क किया जा सकता है।

7. **निविदा का अनुमोदनः** किसी भी कार्य का ठेका प्रदान किये जाने के अनुमोदन के पहले ठेकेदार द्वारा पूर्व में संपादित किये गये कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता आदि पर भी ध्यान दिया जायेगा। पूर्व में किये गये कार्यों का रिकार्ड उपयुक्त नहीं पाये जाने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों तथा निविदा की शर्तें पूर्ण करने की स्थिति में भी उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त करने योग्य हो सकती है। समस्त अथवा किसी एक निविदा को बिना कोई कारण बताये या सूचना के निरस्त करने/ संविदा राशि परिवर्तित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। अपर्याप्त अनुभव अथवा साख एवं पूर्व में प्रदत्त कार्यों में अत्यधिक विलंब अथवा शेश कार्यों की मात्रा भी निविदा के अनुमोदन को प्रभावित करेंगी। अतिरिक्त विवरण हेतु कार्यालयीन समय में इस कार्यालय के दूरभाश पर संपर्क किया जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता (प0 व सं0)
म0प्र0पा0ट्रा0कं0लि0 सतना

प्रतिलिपिः

1. मुख्य अभियंता (परी0 व सं0) म0प्र0पा0ट्रा0कं0लि0 जबलपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (परी0 व सं0) म0प्र0पा0ट्रा0कं0लि0 जबलपुर/सागर/भोपाल/नागदा/उज्जैन/ग्वालियर/इंदौर।
3. कार्यपालन अभियंता (परी0 व सं0) म0प्र0पा0ट्रा0कं0लि0 सतना/रीवा/शहडोल .को वास्ते सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
4. संविदाकार श्री ....।
5. क्रय विभाग/ सूचना पटल